Dr. (Sufi) Shakeel Ahmed (May 2021). The architect of India's communal unity and great patriot: Maulana Syed Hussain Ahmed Madani
International Journal of Economic Perspectives,*15*(1),593-599
Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal

भारत के साम्प्रदायिक एकता के सूत्रधार एवं महान देश भक्त : मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी

डॉ0 (सूफी) शकील अहमद
असि0 प्रोफेसर, इतिहास विभाग,
मुमताज़ पी0जी0 कालेज, लखनऊ

मौलाना सैयद हुसैन मदनी देश के सुप्रसिद्ध **'दारूल उलूम देवबन्द'** के उन प्रसिद्ध उलमा (आलिम अर्थात् आचार्य का बहुवचन) में से एक थे जिन्होंने मुल्क में अम्न व शान्ति का सन्देश दिया। साम्प्रदायिक भेद-भाव को मिटाने का भरसक प्रयास किया। देश को आज़ाद कराने के लिए दिलोजान की बाज़ी लगायी तथा देश के बँटवारे की मुखालिफत करने पर अपने तमाम विरोधियों की प्रतिक्रिया को बरदाश्त करते हुए एक सच्चे इंसान, एक शान्त-दूत एवं सच्चे देश-भक्त होने का प्रखर परिचय दिया जिसकी मिसाल मुश्किल से ही मिलती है।

मौलाना हुसैन अहमद मदनी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने देश की आजादी के बाद विभिन्न प्रकार के सम्मानजनक पद एवं उपनामों जैसे राज्य सभा नामांकन, पद्मभूषा आदि से सम्मानित करने का प्रयास किया गया, किन्तु मौलाना ने बड़ी ही विनम्रता से इन्हें स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। सन् 1957 ई0 में उनकी मृत्यु पर उनके पार्थिव शरीर को तिरंगा से लपेट कर देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। उनकी अन्तिम यात्रा में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा उनकी मंत्रिमण्डल के बहुत से लोग उपस्थित रहे। 'इण्डिया पोस्ट ने सन् 2012 में उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया'[1]।

किसी शायर ने खूब फरमाया है-

मौत उसकी है जिसका ज़माना करे अफसोस,
यूँ तो आये हैं सभी लोग यहाँ मरने के लिए।

जीवन परिचय-

मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी का जन्म सन् 6 अक्टूबर, 1879 ई0 में बाँगरमऊ, ज़िला उन्नाव में हुआ था। उनके पिता बाँगरमऊ में एक शिक्षक थे। वह तंद ज़िला फैज़ाबाद से थे। उनके पिता सैयद हबीबुल्लाह जो पैगम्बर हज़रत मुहम्मद साहब के वंशज से थे।

मदनी सन् 1892 ई0 में 13 वर्ष की आयु में **'दारूल उलूम देवबन्द'** जहाँ उन्होंने हज़रत मौलाना महमूद-उल-हसन साहब के अधीन अध्ययन शुरू किया। तत्पश्चात् व हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब के शिष्य बने। उन्होंने बाद में सूफी मार्ग में दूसरों को प्रेरित किया। मौलाना रशीद अहमद गंगोही जो मौलाना महमूद-उल-हसन के आध्यात्मिक गुरू भी थे। वह महमूद-उल-हसन ही थे जिन्होंने हुसैन अहमद को मौलाना रशीद अहमद गंगोही के शागिर्द (शिष्य) बनने के लिये प्रेरित किया था। इसलिए उनके अर्थात् मौलाना अहमद गंगोही से उनकी आध्यात्मिक वंशावली हज़रत अलाउद्दीन साबिर पिया कलियरी (रह0) से जुड़ जाती है।

© 2021 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Corresponding author: **Dr. (Sufi) Shakeel Ahmed**
Submitted: 27 Oct 2021, Revised: 09Nov 2021, Accepted: 18 Nov 2021, Published 30 Dec 2021

हुसैन अहमद **'दारूल उलूम देवबन्द'** के **शैखुल हिन्द** हज़रत मौलाना महमूद-उल-हसन के शिष्य थे। हुसैन अहमद की दारूल उलूम देवबद से पढ़ाई समाप्त होने के पश्चात्, उनके पिता ने सन् 1889-90 में मक्का शरीफ में बसने का इरादा किया। कुछ समय पश्चात् उनका परिवार वहाँ पहुँच भी गया और वहाँ 16 वर्ष का समय भी बीत गया लेकिन इसी बीच उनका भारत आना-जाना भी चलता रहा। **'दारूल उलूम देवबन्द से स्नातक होने के बाद मौलाना हुसैन अहमद अपने परिवार के साथ मदीना चले आये। उन्होंने वहाँ अरबी व्याकरण, अल-फ़िक़्ह, उसूल-उल-हदीस वगैरह पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने मदीना में इन विभिन्न इस्लामी विज्ञानों के पढ़ाने में 18 साल बिताये। उसके बाद उन्हें दारूल उलूम देवबन्द के मुख्य शिक्षक और 'शैखुल हदीस' के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने इस प्रकार लगभग 28 वर्षों तक की सेवा की[2]।'**

मौलाना का देश-हित की ओर लगाव: सन् 1916 ई0 में महमूदुल हसन मक्का शरीफ पहुँचे तो उनके सम्पर्क में आने के बाद मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की अपनी रूचि दिखाई। अब उनका यह विश्वस्नीय शिष्य ही उनका परामर्शदाता बन गया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी के उस्ताद (गुरू) मौलाना महमूदुल हसन साहब की रेशमी रूमाल तहरीक (आन्दोलन) के षड्यन्त्र में माल्टा द्वीप की जेल में तीन साल के लिए सज़ा के तौर पर जेल भेज दिया गया। हुसैन अहमद ने उनके साथ जाने के लिए स्वयं सेवा की ताकि वह उनकी देख-भाल कर सके। रमज़ान शरीफ़ का पवित्र माह के आने पर तरावीह पढ़ने के लिए मौलाना ने अपने उस्ताद के सम्मान में रोज़ाना एक-एक पारा याद करके पूरे रमज़ान शरीफ में पूरा कुरान पाक कंठस्थ (याद) करके तरावीह में सुनाया। यह एक ऐसा उदाहरण है जो समस्त संसार के न के बराबर ही किसी को नसीब हुआ हो।

असहयोग आन्दोलन में मौलाना की भूमिका- मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उस समय असहयोग आन्दोलन के प्रमुख नेता थे। उनके आग्रह पर मौलाना हुसैन अहमद ने कलकत्ता में स्थापित अरबी मदरसे की जिम्मेदारी सौंप दी। वहाँ से वह सिलहट चले गये जहाँ उन्होंने हदीस के उस्ताद (शिक्षक) के रूप में 6 वर्ष बिताये। सन् 1928 ई0 में वह **'दारूल उलूम देवबन्द'** के सद्रमुदर्रिस (प्रिंसिपल) बने और इसी पद पर तीस वर्ष तक उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। इसी अवधि में ही उन्होंने भारत की स्वतंत्रा आन्दोलन में सक्रिय भूमिका अदा की। इसी सिलसिले में उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा।

मौलाना हुसैन अहमद को अनेक प्रकार से दूसरों की टीका-टिप्पणी का भी समाना करना पड़ा किन्तु उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्हें सरकार की दमनकारी नीति का कई बार सामना करना पड़ा। उन्होंने मुस्लिम लीग की नीतियों का विरोध। इस पर उन्हें अन्य मुखालिफीन (विरोधियों) की कटु टीका-टिप्पणी एवं आलोचना को भी सहना पड़ा। उन्होंने भारत में पारस्परिक हिन्दू-मुस्लिम की एकता के आदर्शों को कभी नहीं त्यागा। उनका विचार था कि दोनों समुदायों के आपसी एकता के द्वारा ही भारत को अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ाया जा सकता है।

राजनीति में प्रवेश:

मौलाना हुसैन अहमद ने अपने उस्ताद-ए-मोहतरम और सरबराह (नेता) मौलाना महमूदुल हसन जी के प्रोत्साहन पर भारत की राजनीति में भाग लेना शुरू किया। उन्होंने भारत एवं भारतीयों की सेवा में अपनी प्रबल लेखनी का सहारा लिया। इसीलिए इस बात की पुष्टि होती है कि समाज एवं देश की वास्तविक समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण अति बौद्धिक था।

© 2021 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Corresponding author: **Dr. (Sufi) Shakeel Ahmed**
Submitted: 27 Oct 2021, Revised: 09Nov 2021, Accepted: 18 Nov 2021, Published 30 Dec 2021

मौलाना हुसैन अहमद का धार्मिक ज्ञान अति गहरा एवं व्यापक था। उनका **'कुरआन'**[ऽ] तथा **'हदीस'**[ऽऽ] पर पूर्ण विश्वास था। उनका मानना था कि दोनों ही ग्रन्थ मानव-जीवन का मार्गदर्शन करने में पूर्ण सक्षम हैं। उन्होंने मुसलमानों को भारत की स्वतंत्रता के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 'प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है कि वे अंग्रेजी-शासन को खत्म करने के लिए अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य का पूर्ण-परिचय दें।'

उनकी केवल सोच ही नहीं बल्कि उनका कहना था कि 'भारत के हिन्दुओं और मुसलमानों को मिलकर अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ एक साथ उठकर खड़ा हो जाना चाहिए। तभी हम देश की आज़ादी के खिलाफ मज़बूती से खड़े हो सकते हैं।'

मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी ने अपनी आत्मकथा के प्रथम खण्ड में 336 पृष्ठों सं 200 पृष्ठों में ब्रिटिश शासन के विनाशकारी परिणामों की समीक्षा की है, जिन्हें निम्नवत् प्रदर्शित किया है-

1. जातिगत और राष्ट्रीय भेद-भाव व उच्च नौकरियों में प्रवेश के निषेध करके भारतियों का अपमान है।
2. ब्रिटिश प्रशासन द्वारा भूमि कर में वृद्धि करना तथा उद्योग तथा व्यापार को छिन्न-भिन्न करके देश की आर्थिक रूप से बर्बाद करना है।
3. ऐसी न्याय व्यवस्था जिसमें अधिक समय तक मुकद्दमेबाजी चलती रहे और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती रहे।
4. कानून बनाने की प्रक्रिया जिसमें भारतियों को दूर व अलग रखा गया है।
5. विदेशी अधिनिपत्य के फलस्वरूप लोगों का नैतिक पतन हो रहा हो।

इसी पुस्तक के द्वितीय खण्ड में मौलाना ने लिखा है कि 'पश्चिमी देशों ने आटोमन साम्राज्य तथा 'खलीफतुलमुस्लिमीन' के पद को धूमिल करते हुए अपने वायदों को तोड़कर खुले रूप से धोखा दिया है। यह भी कहा गया है कि ऐसे में सबसे ज्यादा काले कारनामे ब्रिटिश ने किये हैं।[3]

उक्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि 'ब्रिटेन के लोग इस्लाम के कट्टर शत्रु हैं और यह मुस्लिम जनता का अपने प्रति और अपने भविष्य के अस्तित्व के दृष्टिगत् यह कर्त्तव्य है कि वे ब्रिटिश साम्राज्य को, जो एशिया और अफ्रीका के सभी लोगों के लिए एक बड़ा ख़तरा है, नष्ट करें।'[4]

मौलाना मदनी साहब का अपना मन्तव्य था कि विश्व के मुसलमानों का उद्धार भारत की स्वतंत्रता पर ही निर्भर करता है। इसी स्वतंत्रा को पाने के लिए उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक चरण में हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी ने अपने उपदेशों द्वारा भारत में एक विप्लव के रूप में आन्दोलन आरम्भ किया था जो 1857 के गदर (क्रान्ति के रूप में नज़र आया, किन्दु इसके पश्चात् ही) के पश्चात् सरकार ने दमन चक्र चलाया जिसके कारण आन्दोलन की गति धीमी पड़ गयी, परन्तु कुछ कालान्तर इसे हवा देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसमें आरम्भ से ही साम्प्रदायिक एकता को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। कांग्रेस की विभिन्न सम्प्रदायों की पारस्परिक जोड़ की नीति को भारत के उलेमा के साथ-ही-साथ मुस्लिम बुद्धजीवि वर्ग ने भी स्वीकार किया।

कांग्रेस की पार्श्विक नीति से प्रेरित होकर मौलाना मदनी साहब ने समझा लिया था कि कांग्रेस ही ऐसी प्रबल संस्था है जो ब्रिटिश सत्ता को हस्तगत् करने में सक्षम है। यद्यपि उनकी इस सोच के विरूद्ध उन्हें काफी टीका-टिप्पणी एवं विवादों का सामना भी करना पड़ा किन्तु मुख़ालिफीन की परवान न करते हुए उन्होंने 1920 ई0 में कांग्रेस का ही समर्थन किया और वे

© 2021 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Corresponding author: **Dr. (Sufi) Shakeel Ahmed**
Submitted: 27 Oct 2021, Revised: 09Nov 2021, Accepted: 18 Nov 2021, Published 30 Dec 2021

कभी अपने इस फैसले से विचलित भी नहीं हुए।

साम्प्रादायिक एकता के प्रबल पक्षकारः

मौलाना मदनी ने अनुभव किया कि हिन्दुओं और मुसलमानों के मध्य द्वेषाभाव है। अतः उन्होंने पारस्परिक एकता को मजबूत कराने के लिए वे अपने भाषणों एवं लेखन कार्यों से सतत् प्रयत्नशील रहे। उनका विचार था कि भारत के लोगो को आज़ादी प्राप्त करने के लिए धार्मिक मतभेदों को भूलाकर एक सुसंगठित राष्ट्र के रूप में गठित होना चाहिए, यही समय की आवश्यकता है।

द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त के प्रति असहमतिरू

उन्होंने द्वि-राष्ट्र सूत्र ;ज्ूव छंजपवदे जीमवतलद्ध को पसन्द नहीं किया। उन्होंने वीर सावरकर तथा बाद की मुहम्मद अली जिन्ना की इस **'द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त'** को कभी पसन्द नहीं किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि ''आधुनिक राष्ट्रों का गठन जाति या धर्म के आधार पर हुआ है''। उनके इस वक्तव्य का सर मोहम्मद इकबाल साहब ने विरोध किया तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने उन्हें इसका जवाब फारसी में एक शेर के रूप में दिया जिसका अर्थ- **"ओ अरब के रेगिस्तान में भटकने वाले, मुझे ग़म है कि तू पवित्र काबे में नहीं पहुँच पायेगा, क्योंकि तू जिस राह पर चल रहा है वह इंग्लैण्ड को जाती है।'**[5]

स्वतंत्र और अविभाजित भारत के संविधान के प्रति मौलाना के विचारः

1. 'भारतीय राज्य एक' गणराज्य होगा जिसका निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। वही सर्वोच्च कार्यपालक सत्ता का प्रयोग करेगा।
2. केन्द्रीय सरकार ने मुसलमान अल्पमत में होंगे लेकिन उनके धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक अधिकार को संरक्षण प्राप्त होगा।
3. केन्द्र रक्षा, वैदेशिक मामले, संचार, परिवहन और वित जैसे मामलों को निपटायेगा।
4. धार्मिक मामलों का उत्तरदायित्व प्रान्तीय सरकारों के पास रहेगा।
5. शिक्षा को प्रान्तीय विषय रखा जायेगा।
6. भारत में इस्लामी कानून लागू नहीं किया जायेगा।
7. सरकार का गठन विभिन्न समुदायों की साझेदारी के आधार पर होगा।[6]

मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा कि ब्रिटिश अधिकारियों के ही इशारे पर 1906 ई0 में ढाका बंगाल में मुस्लिम लीग की स्थापना की गयी थी जिसमें मुस्लिम ऐंग्लो ओरिन्टल कालेज (एम0ए0ओ0 कॉलेज) के प्रिंसिपल मि0 बेग को अपना मध्यस्थ बनाया गया था। 1906 ई0 में शिमला प्रतिनिधि मण्डल का आयोजन करने वाले लोग ही लीग के संस्थापक थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के शब्दों में, ''(यह) आज्ञानुसार कार्य था। इस ग्रुप में अमीर, जमींदार और सरकार से उच्च पद या खिताब पाने के इच्छुक मुसलमान ही थे। उनमें एक भी ऐसा मुसलमान नहीं था जिसे जन-नेता या सार्वजनिक कार्यकर्त्ता कहा जा सके। लीग के प्रारम्भिक पाँच वर्षो के वार्षिक अधिवेशन मुख्य रूप से सरकार के प्रति वफादारी दिखाने, कांग्रेस के आन्दोलन की निन्दा करने व सरकार का समर्थन करने के लिए विचार प्रकट करने के मंच थे।'

© 2021 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Corresponding author: **Dr. (Sufi) Shakeel Ahmed**
Submitted: 27 Oct 2021, Revised: 09Nov 2021, Accepted: 18 Nov 2021, Published 30 Dec 2021

मौलाना के दृष्टिगत द्विराष्ट्र सिद्धान्त से हानियाँ–

1921 ई0 में लीग ने राष्ट्रीय राजनीति से दूर रहकर कांग्रेस के खिलाफ अपना रूख अपना लिया। उसमें मुसलमानों के हितों को दिखाकर ऐसी नीति अपनाई जिनसे साम्प्रदायिक हितों को बढ़ावा मिलता रहे। आगे चलकर हिन्दु महासभा ने साम्प्रदायिक भावना को और अधिक विषाक्त कर स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया। हालाकि हुसैन अहमद मदनी ने लीग के सिद्धान्तों को पूरी तरह से नाकार दिया।

हुसैन अहमद मदनी ने लीग के द्वि–राष्ट्र सिद्धान्त के पूरा तरह से नकार दिया। उन्होंने आगे कहा– 'दो प्रथक् राष्ट्रों के निर्माण मुसलमानों को सबसे अधिक हानि उठानी पड़ेगी। उनकी एकता भंग हो जायेगी। जिन प्रान्तों में वे अल्पमत में है, वहाँ उनके राजनैतिक और आर्थिक प्रभाव नष्ट हो जायेगा। उनके बहुमत वाले प्रान्तों में केन्द्रीय सरकार को असाह्य आन्तरिक और बाह्य समस्याओं का सामना करना होगा। सरकार अपनी स्थिति स्थिर न रख सकने के कारण, किसी अन्य देश की सहायता लेने के लिए बाध्य हो जायेगी, जिसके परिणामस्परूप अर्थव्यवस्था का सन्तुलन बिगड़कर विदेशी सरकारों और पूँजीपतियों के हाथों में चला जायेगा। इसके अलावा साधनों की कमी और खर्च में वृद्धि के कारण सरकार रक्षा सम्बन्धी अपने दायित्वों का ठीक ढंग से निर्वाह नहीं कर पायेगी और अपने रक्षा प्रबन्ध को ब्रिटेन की रक्षा–व्यवस्था से नत्थी करने के लिए तैयार अपने राजनैतिक भविष्य को लगाम उसके हाथों सौंपने के लिए बाध्य हो जायेगी।[7]

मौलाना का विचार था कि ''वैदेशिक मामलों में एक स्वाधीन मुस्लिम राज्य को और भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच धार्मिक कट्टरता का ब्रिटेन पूरा लाभ उठाएगा और इस प्रकार भारत पर ब्रिटिश अधिपत्य की समाप्ति के बावजूद उसकी सत्ता फिर स्थापित हो जायेगी।''[8]

''इसके अतिरिक्त भारत के विभाजन से दोनों ही देशों की ताक़त कम हो जायेगी और इस प्रकार अन्य राष्ट्रों के हस्तक्षेप का सामना करने की उनकी क्षमता घट जायेगी। इसके अतिरिक्त यह दोनों प्रथक् राज्य संयुक्त भारत की अपेक्षा एशिया के मुस्लिम देशों को सहायता देने में सक्षम न होंगे। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में वे अपना प्रभाव डालने से कठिनाई का अनुभव करेगे।''[9]

अंग्रेज़ों के विरूद्ध दारूलउलूम देवबन्द तथा जमीअतुल उलमा–ए–हिन्द का संयुक्त प्रयासः

स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले दारूल उलूम देवबन्द के ओलेमा ने **'जमीअतुलउलेमा–ए–हिन्द'** नामक तंज़ीम (संगठन) का गठन किया जिससे प्रमुख धार्मिक और राजनैतिक मामलों पर भारत के प्रसिद्ध उलेमा के विचार निश्चित किये जा सके।

'जमीअतुल–उलेमा–ए–हिन्द' के प्रथम अध्यक्ष मौलाना हुसैन अहमद मदनी के उस्तादे मोहतरम (गुरू) मौलाना महमूद हसन थे। इस जमीअत (संगठन) का दिल्ली में सन् 1920 ई0 में एक अधिवेशन हुआ। इसमें मौलाना महमूदल हसन द्वारा दिये गये भाषण से जमीअत के उद्देश्यों और कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला गया। इसमें मौलाना महमूदुल हसन ने मुसलमानों से मार्मिक अपील करते हुए कहा था कि वे अंग्रेजों से तब तक संघर्ष जारी रखें जब तक कि भारत अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त न हो जाये। **'दारूल उलूम देवबन्द'** और **'जमीअतुल–उलेमा–ए–हिन्द'** ने आज़ादी के लिए जो त्याग, बलिदान दिया वह भारत की

© 2021 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Corresponding author: **Dr. (Sufi) Shakeel Ahmed**
Submitted: 27 Oct 2021, Revised: 09Nov 2021, Accepted: 18 Nov 2021, Published 30 Dec 2021

स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास का अति महत्वपूर्ण एवं गौरवशाली अध्याय है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के सुख-समृद्धि का त्याग किया और साधारण त्यागपूर्ण जीवन अपनाया। उन्होंने कई वर्षों तक निर्वासन जीवन बिताया। जेलों में बन्द रहे यातनाएं झेली और तरह-तरह के दुर्व्यवहार भी सहे। इस प्रकार के उदारण इतिहास में मुश्किल से ही मिलेंगे।

हुसैन अहमद मदनी ने देश की आज़ादी के लिए विभिन्न प्रकार के कष्ट एवं संकट सहे तथा तरह-तरह की प्रताड़ना भी सही किन्तु इतना सब कुछ होते हुए भी उन्होंने **'हिन्दू-मुस्लिम एकता'** तथा **'देश की आज़ादी'** के लक्ष्य को कभी नहीं भुलाया। इसके लिए उन्हें इतिहास में सदैव याद किया जाता रहेगा।

'द नेशन' (समाचार-पत्र) में छपे एक लेख में लिखा था- **"जब भी भारत की आज़ादी के इतिहास की चर्चा की जायेगी देवबन्द के बहादुर विद्वानों के नाम बड़े ही सम्मान तथा आदर्श भाव के साथ लिये जाते रहेंगे।"**[10]

© 2021 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Corresponding author: **Dr. (Sufi) Shakeel Ahmed**
Submitted: 27 Oct 2021, Revised: 09Nov 2021, Accepted: 18 Nov 2021, Published 30 Dec 2021

सहायक सामग्री

1ण जीम त्पेम ंदक थ्ंसस व िजीम क्मवइंदक डवअमउमदजए 2017ण

2ण वही

’ईश-वाणी संग्रह जो हज़रत मुहम्मद साहब पर अवतरित हुआ।

’’हज़रत मुहम्मद साहब के जीवन एवं उनके कार्यों का लेखा-जोखा।

3ण डॉ0 तारा चन्द, ‘‘भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास, भाग-तृतीय, पृष्ठ 267-68।

4ण हुसैन अहमद मदनी, ‘‘नक्शे-हयात’ (उर्दू), खण्ड-द्वितीय, पृष्ठ-270।

5ण भ्वू प्दकपे मम श्रपददी.

6ण वही

7ण वही

8ण वही

9. हुसैन अहमद मदनी, मकतूबात, खण्ड-द्वितीय, पृष्ठ- 121-222

10ण वही

© 2021 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Corresponding author: **Dr. (Sufi) Shakeel Ahmed**
Submitted: 27 Oct 2021, Revised: 09Nov 2021, Accepted: 18 Nov 2021, Published 30 Dec 2021